

क्रमांक/पि.वर्ग/पो.मै.छा./2025-26/08

सागर दिनांक - 09.01.26

प्रति,

प्राचार्य/संस्था प्रमुख/छात्रवृत्ति प्रभारी,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
जिला सागर (म0प्र0)

विषय:- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एमपी टास पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR)
अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय आयुक्त, पि.वर्ग. तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. का पत्र क्रमांक/40 भोपाल
दिनांक 05-01-2026 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त, पि.वर्ग. तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. के निर्देश
अनुरूप एमपी टास पोर्टल पर 2024-25 एवं 2025-26 में De-Duplication की प्रक्रिया हेतु वन
टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य रूप से किया जाना है अतः आपके महाविद्यालय में अध्यनरत
छात्र-छात्राओं से संपर्क कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त कलेक्टर
प्रभारी सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला सागर म0प्र0

पृ.क्रमांक/पि.वर्ग/पो.मै.छा./2025-26/08
प्रतिलिपि:-

सागर, दिनांक 09/01/2026

1. आयुक्त महोदय, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल म0प्र0 की ओर
सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला सागर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

क्रमांक एस.सी.एस.टी सेल/05/25-26/ 277 दिनांक 15.01.2026

संयुक्त कलेक्टर
प्रभारी सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला सागर म0प्र0

प्रतिलिपि:

- 1.समस्त संकाय/समस्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2.माननीय कुलपति महोदय जी के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3.श्रीमान् कुलसचिव महोदय जी के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु. जाति/अनु.जनजाति प्रकोष्ठ
15.1.2026